उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 06/2020/2495/छप्पन-2019-23/2017
लखनऊ: दिनांक: 28 जनवरी, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

नियुक्ति

नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 की परिचालन इकाई में पायलट (फिक्स्ड विंग) के पद पर श्री पवन गुप्ता को नागरिक उड्डयन निदेशालय में कार्यरत कार्मिकों के पारिश्रमिक/भत्तों के निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या-8/2019/193/छप्पन-2019-17 /2014 दिनांक 29 जनवरी, 2019 में संविदा सेवा पायलटों के लिए अनुमन्य मासिक पारिश्रमिक रेन्ज रू0 2.50 लाख से रू0 07.00 लाख के अन्तर्गत प्रारम्भिक रूप से रु0 5.50 लाख के नियत मासिक पारिश्रमिक एवं अनुमन्य उड़ान भत्ता तथा पायलट-इन-कमाण्ड के रूप में 50 घंटे का अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद अगले माह से रू0 6.00 लाख के नियत मासिक पारिश्रमिक,अनुमन्य उड़ान भत्ते एवं नियमानुसार अनुमन्य वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष (दो वर्ष) की अवधि के लिए श्री राज्यपाल संविदा पर नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि जब तक श्री पवन गुप्ता पायलट-इन-कमाण्ड के रूप में वी0आई0पी0 को उड़ाने के योग्य नही होते हैं तब तक उनके द्वारा वी0आई0पी0 उड़ानों का सम्पादन को-पायलट के रूप में किया जाएगा।

2- श्री पवन गुप्ता को उक्त संविदा अवधि में उपर्युक्त नियत मासिक पारिश्रमिक व अनुमन्य विशेष उड़ान भत्ते के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे।

3- श्री पवन गुप्ता से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाएगा और उसकी एक प्रति सम्बन्धित पायलट को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

4- इस पत्र के जारी होने के 20 दिन के अन्दर श्री पवन गुप्ता द्वारा स्वीकृति-पत्र प्रेषित करना अनिवार्य है तथा यदि वह इस पत्र की तिथि से 03 माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो उनका अभ्यर्थन स्वत: निरस्त समझा जाएगा। विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अन्य पत्राचार नहीं किया जाएगा।

सुरेन्द्र सिंह
विशेष सचिव

श्री पवन गुप्ता,
आफिसर्स मैरिड क्वार्टर नं0-59,
एन-1 एरिया, एयरफोर्स स्टेशन चकेरी,
कानपुर,(यू0पी0)-208008.

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पृ0 संख्या-06/2020/2495(1)/छप्पन-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को इस अभियुक्ति के साथ कि श्री पवन गुप्ता से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन और एक प्रति सम्बन्धित पायलट को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6. कार्मिक अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
7. सम्बन्धित पायलट की व्यक्तिगत पत्रावली के लिए/ गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।